पंजीकृत संख्या 72/54–55 ।। वन्देमातरम्।। Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोषचन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, रामावतार शर्मा
(Regd. &Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत सिंह	नटवरलाल पांचाल	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
मो.94133–44625	मो. 94143–52597	मो. 94140–56109	मो. 94143–96596

क्रमांकःरा.शिक्षकसंघ(राष्ट्रीय)/ महामंत्री/170 दिनांक–01.09.2021

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार जयपुर।

विषय :– संस्कृत शिक्षा विभाग में संशोधित सेवा नियम 2018 के तहत प्रधानाचार्य की न्यायालय निर्णय के अधीन पदोन्नति कर अन्य समस्त पदों पर भी पदोन्नतियां प्रदान कर शिक्षकों को राहत देने बाबत।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता व अन्य पदों पर पर्याप्त पदोन्नतियां प्रदान नही की गई है जिससे संस्कृत शिक्षा के शिक्षक सामान्य शिक्षा विभाग के शिक्षको के अनुपात में पदोन्नती में पिछड़ गए है। इसी कारण से कई शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा देकर सामान्य शिक्षा विभाग में चले गए है। वर्तमान में व्याख्याताओं वह अन्य पदों पर जो पदस्थापन हुए हैं उसमें भी अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं देखते हुए लगभग 60 से 70 प्रतिशत शिक्षकों ने कार्यारम्भ नहीं किया वह सामान्य शिक्षा में चले गए हैं। ऐसे में शिक्षको की कमी के कारण संस्कृत शिक्षा विभाग में निरंतर बालको का नामांकन भी घट रहा है। कई विद्यालय एकल शिक्षक विद्यालय चल रहे है तो कई विद्यालयो को बंद करना पड़ा है। यही क्रम चलता रहा तो एक दिन संस्कृत शिक्षा विभाग का भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई देता है। इस व्यथा से पीड़ित संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त शिक्षको में भारी असंतोष व आक्रोश व्याप्त है। अतः इस एक गंभीर विषय पर विचार एवं चिंतन करना समीचीन होगा।

निवेदन है कि विभाग के संशोधित सेवा नियम 2018 जो कि 28 मार्च 2018 से तुरन्त प्रभाव से लागू है, जो समस्त शिक्षकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हैं के अनुसार ही समस्त पदों पर कार्मिक विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति प्रदान करना समस्त शिक्षको व बालको के हित तथा संस्कृत विषय में अध्यययनरत बेरोजगारों के हित मे रहेगा।

गौरतलब है कि राजस्थान राज्य में संस्कृत शिक्षा का पृथक से विभाग संचालित है। लेकिन उनमें कुल विद्यालयो कि संख्या यथा उ.प्रा.सं.वि.–975, प्रवेशिका (माध्यमिक)–219, वरि.उपा.(उ.माध्यमिक)–192, शास्त्री (स्नातक)–18, आचार्य (स्नातकोत्तर)–11 है जो देववाणी के विकास में पर्याप्त नहीं है।

वर्तमान परिस्थिति मे सम्पूर्ण राज्य के इन विद्यालयो एवं कॉलेजों के प्रति बालको की रुचि का बढ़ना कैसे संभव हो इस पर विचार होना चाहिए? इसी प्रकार कक्षा 1 से 5 प्रावि में न्यूनतम–2, कक्षा 1 से 8 उप्रावि में न्यूनतम–6

तथा कक्षा 1 से 10 प्रवेशिका में न्यूनतम 8 तथा कक्षा 1 से 12 वरिष्ठ उपाध्याय में 1 न्यूनतम 10 शिक्षको की आवश्यकता होती है। इनके बगैर मात्र 1 ,2,3..... 6 शिक्षको के सहारे किस प्रकार अध्यापन सम्भव है ? न्यून शिक्षको के अभाव में देव भाषा संस्कृत के प्रति बालको की रुचि न्यून होना स्वाभाविक है जिसका सीधा असर आगामी नामांकन पर भी पड़ रहा है।

वर्तमान समय मे हमारी देवभाषा संस्कृत को बढ़ावा देने की महती आवश्यकता है। इस हेतु राज्य के संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयो में पर्याप्त शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता तथा संस्था प्रधान के पदों को नव नियुक्ति व पदोन्नती से भरा जाना अत्यावश्यक है।

संगठन का यह भी आग्रह है कि प्रधानाचार्य के पदों पर माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए स्टे को विभाग शीघ्र जवाब प्रस्तुत कर एवं शीघ्र सुनवाई की अपील करते हुए सामान्य शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति की गई उसी प्रकार न्यायालय निर्णय के अधीन रखते हुए पदोन्नति प्रदान कर शिक्षकों को राहत प्रदान करावे तथा रिक्त पदों पर नवीन भर्ती की जावे ताकि संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयो में पर्याप्त शिक्षको के सहारे नामांकन को बढ़ाया जा सके एवं अध्ययनरत बालको के लिए पर्याप्त शिक्षण व्यवस्था हो साथ ही यह आग्रह भी है कि कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष समस्त पदों पर पदोन्नतिया किया जाना सुनिश्चित करावे।

संस्कृत शिक्षा सेवा नियमों में उल्लेखित प्रशासनिक पदों का शीघ्र सृजन कर पूर्णकालिक निदेशक लगाया जावे यहां यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि विभाग के कुछ शिक्षकों का समूह है जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के चलते इस विभाग मे कार्यरत सामान्य विषय के शिक्षक एवं संस्कृत विषय के शिक्षकों में नियमों को लेकर मीडिया के माध्यम से भी और विभिन्न प्रयत्न द्वारा खाई पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है जो भविष्य में विभाग एवं इसमें अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा ऐसी स्थितियों पर और इसे बढ़ावा देने वालों पर विभाग को नजर रखते हुए नियंत्रण करने का संगठन का आग्रह है।

भवदीय

(अरविन्द व्यास)
महामंत्री

प्रतिलिपी :–
1. माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर
3 अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
4. निदेशक ,संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।

(अरविन्द व्यास)
महामंत्री